राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3, महात्मा गांधी नरेगा)
शासन सचिवालय, जयपुर।

क्रमांकः- एफ 1(23)ग्रावि/नरेगा/मेट/2019 जयपुर, दिनांक : 24 DEC 2021

जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस
एवं जिला कलक्टर,
जिला समस्त, राजस्थान।

विषयः- महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत मेट के रोटेशन बाबत।
प्रसंगः- विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 19.08.2015 एवं 03.06.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रो द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत मेट के नियोजन, रोटेशन बाबत निर्देश जारी किये गये है। प्रायः यह देखने में आ रहा है कि मेट का नियोजन रोटेशन के अनुसार नहीं किया जा रहा।

अतः योजनान्तर्गत मेट का नियोजन रोटेशन के आधार पर तैयार किये गये पैनल में से कार्यक्रम अधिकारी द्वारा किया जावे। मेट पैनल में चिन्हित प्रत्येक मेट को जब तक समान अवधि का रोजगार नहीं मिल जाता तब तक किसी मेट को पुनः कार्यो पर नियोजित नहीं किया जावे। पुरूष मेट का नियोजन रोटेशन के द्वारा पखवाडा पूर्ण होने पर उपलब्ध पैनल अनुसार किया जावे। महिला मेटों के संबंध में उपलब्धता होने पर ही महिला मेट को परिवर्तित किया जावे अन्यथा उपलब्ध महिला मेट को 100 दिवस से अधिक भी नियोजित रखा जावे। महिला मेट के स्थान पर पुरूष मेट को यथा संभव नियोजित नहीं किया जावे। मेट के नियोजन में महिला प्रार्थी को प्राथमिकता देते हुए नियोजित किया जावे तथा नियोजित महिला मेट को आगामी पखवाडे में पैनल में स्थित दूसरी महिला मेट से ही यथा संभव परिवर्तित किया जावे।

किसी भी कार्य पर मेट का नियोजन रोटेशन के आधार पर नहीं किये जाने एवं उपरोक्तानुसार कार्यवाही नहीं किये जाने के लिए कार्यक्रम अधिकारी, ईजीएस स्वंय ही जिम्मेदार होगें। कृपया तदानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

भवदीय

(अभिषेक भगोतिया)
आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपिः- निम्न को सूचनार्थ प्रेषित हैः-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस।
4. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।

आयुक्त, ईजीएस